<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर</u>

उनवान – जमीला बानों बनाम निसार अहमद व अन्य

किस्म– दावा मु.नं – 296/वर्ष 2024

दिनांक	आज्ञा पत्र	
27.08.2024	पत्रावली प्रस्तुत हुई। **वादीया** की ओर से अधिवक्ता **श्री नोपाराम जांगिड** द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर वाद--पत्र प्रस्तुत किया गया। कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की गई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जरिये रजि0 डाक/ स्पीड पोस्ट सें जारी कर तामील करावें। पत्रावली आगामी तारीख पेशी 20.09.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सीकर	
17/9/24	पत्रावली वादिया द्वारा जरिये अधिवक्ता मिसल तलबी के आवेदन पर पेशी में ली गई। वादियां द्वारा एक आवेदन इस आशय का पेश किया गया है कि यह दावा आपसी गलतफहमी में पेश किया गया था, समाज के मौजीज व्यक्तियों ने आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब इस दावे में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती हूं, दावे को खारिज किया जावें। वादिया की पहचान अधिवक्ता वादिया श्री नोपाराम जांगिड़ द्वारा की गई। अतः वाद वादियां को वादियां के अनुरोध एवं अधिवक्ता वादियां की पहचान पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया। 17/09/24 उपखण्ड अधिकारी, सीकर	Not pressed जमीला पहचानकर्ता 17.9.24